

	अवधि जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र पेंशन प्राप्त कर ली हो।		
(६)	अन्य कोई अवधि जिसे अहंक सेवा के रूप में न माना गया हो (विवरण दें)		
(ग)	अहंक सेवा में परिवर्धन :		
(१)	सैनिक सेवा (नियम 19)		
(२)	युद्ध सेवा (नियम 20)		
(३)	फालतू घोषित के कारण स्वेच्छा निवृत्ति पर दिया गया अधिभार (नियम 29)		
(४)	नियम 30 के अधीन सेवाकाल में अधिभार		
(५)	स्वायत्तंशासी निकाय में सेवा का लाभ (नियम 37)		
(६)	नियम 48-ख के अधीन सेवाकाल में अधिभार		
(घ)	निवल अहंक सेवा		
(ङ)	अहंक सेवा की अवधि पूर्ण छमाहियों में (तीन मास एवं इससे अधिक की अवधि को पूर्ण छमाही माना जाये)		
18.	परिलब्धियाँ		
(क)	निवृत्ति से पूर्व 10 मास के दौरान की परिलब्धियाँ		
से	तक	वेतन दर	राशि
(ख)	यदि अधिकारी सेवा निवृत्ति से पूर्व विदेश सेवा में था तो यदि वह विदेश सेवा के स्थान पर शासनाधीन होता तथा अनुमानित वेतन जो प्राप्त कर रहा होता :		
(ग)	पेंशन के लिये आँसूतन परिलब्धियाँ		
(घ)	निवृत्ति उपदान/मृत्यु उपदान के लिये परिलब्धियाँ		
(ङ)	परिवार पेंशन के लिये परिलब्धियाँ		
19.	सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी ने किस तिथि को फार्म 5 में पेंशन के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया।		
20.	फार्म 3 में दिये गये विवरण के अनुसार परिवार का पूर्ण एवं अर्थतन विवरण		
क्रं सं०	परिवार के सदस्यों के नाम	जन्म तिथि	परिषद् कर्मचारी के साथ सम्बन्ध
1.	2.	3.	4.

21. क्या मृत्यु उपदान/निवृत्ति उपदान के लिये नामांकन किया गया है।